



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

थानागाजी-अलवर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:-2019/00281

दर्ज तिथि:- 18.06.2019

- गिरिराज प्रजापत पुत्र बनवारी निवासी मोटूका तहसील बानसूर जिला अलवर राजस्थान
.... प्रार्थी
बनाम्
- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार थानागाजी जिला अलवर राजस्थान
.....अप्रार्थी

उपस्थित

प्रार्थी अधिवक्ता-श्री मुरालीलाल गुर्जर
अप्रार्थी:- पैरोकार सरकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-क
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955

:-निर्णय:-

दिनांक 05.06.2023

- आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-'क' के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी आराजी खसरा संख्या 637/10/0.19 है0 वाके ग्राम सुरजनपुर तहसील थानागाजी जिला अलवर में अवस्थित है। प्रार्थी अपनी खातेदारी आराजी के समीप स्थित खसरा संख्या 09/0.99 है0 किस्म चारागाह से होकर प्रार्थी पूर्व से ही अपनी खातेदारी आराजी तक आता-जाता रहा है। चूंकि उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है तथा इसके अतिरिक्त प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अन्त में प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी आराजी में से चारागाह हेतु आवश्यक भूमि समर्पण कर खसरा संख्या 09/0.99 है0 किस्म चारागाह वाके ग्राम सुरजनपुर में से स्टेट हाईवे संख्या-52 से पूर्व की तरफ प्रार्थी की आराजी में आने



जाने हेतु रास्ता करीब 30 फीट चौड़ाई प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक मौके पर जारी विद्यमान मार्ग को नवीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। तहसीलदार थानागाजी से राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 के अनुसार मौका जॉच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार थानागाजी के द्वारा अपने पत्र क्रमांक/भू0अ0/2023/501 दिनांक 13.02.2023 के द्वारा मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई।
3. वकील प्रार्थी ने दौराने-ए-जिरह प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को मात्र दौहराते हुये खसरा संख्या खसरा संख्या 637/10/0.19 है0 वाके ग्राम सुरजनपुर हेतु खसरा संख्या 09/0.99 है0 किस्म चारागाह में से स्टेट हाईवे संख्या-52 से पूर्व की तरफ प्रार्थी की आराजी में आने जाने हेतु रास्ता करीब 30 फीट चौड़ाई प्रार्थी की खातेदारी आराजी तक मौके पर जारी विद्यमान मार्ग को प्रार्थी की खातेदारी आराजी में से चारागाह हेतु आवश्यक भूमि समर्पण कर नवीन रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने का निवेदन किया।
4. प्रकरण में प्रार्थना पत्र के साथ अप्रार्थी तहसीलदार की मौका-रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-'क' का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है-

धारा 251-क- अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना या नया मार्ग खोलना या विद्यमान मार्ग का विस्तार करना-(1)
जहाँ

(क) कोई अभिधारी, अपनी जोत की सिंचाई के प्रयोजन के लिए किसी अन्य खातेदार की जोत में से होकर भूमिगत पाइपलाइन बिछाना चाहता है या

(ख) कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतों तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से एक नया मार्ग बनाना चाहता है, या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौड़ा करना चाहता है-

और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसा अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे, और उपखण्ड अधिकारी, यदि सक्षिप्त जॉच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि-

(1) यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है, और

(2) अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट नये मार्ग के मामले में, पहुंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है—

तो आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ-साथ भूमि की सतह से कम से कम 3 फिट नीचे पाईप लाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रैक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया जाये, भूमि में से होकर, और यदि ऐसे ट्रैक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुत्तम या निकटतम रूट से एक नया मार्ग जो 30 फिट से अनाधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भूमि को धारित करता है, जिसमें से होकर पाईप लाईन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विद्यमार्ग को चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

(1) जहाँ—उपधारा (1) के अधीन नया मार्ग बनाने या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित करने या चौड़ा करने का मार्ग मंजूर किया जाये वहां ऐसे मार्ग को समाविष्ट करने वाली उस भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जायेगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में “रास्ता” के रूप में अभिलिखित की जायेगी।

(2) वे व्यक्ति, जिनको उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुविधाओं में से किसी भी सुविधा के उपभोग के लिए अनुज्ञात किया गया है, उक्त सुविधा के आधार पर उस जोत में, जिसमें से होकर ऐसी सुविधा मंजूर की जाये, कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं करेंगे।

5. इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा 251—‘क’ के प्रावधानों की क्रियान्विति हेतु बनाये गये राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955 के नियम 68 लगायत 70 का उद्धरण करना यहां प्रासंगिक प्रतीत होता है जो इस प्रकार है—

68. Application under Sec. 251-A. - An application for grant of permission under sub-sec. (1) of 251-A of the Act shall be in Form 1.

69. Enquiry and disposal of application. - On receipt of an application in Form I, the Sub-Divisional Officer shall either inspect the site himself or get it inspected by an officer not below the rank of the Inspector Land Records and invite objections from the affected persons. The Sub-Divisional Officer after affording an opportunity of being heard to the parties and making such further enquiry, as he thinks necessary, if satisfied that-

- (i) the necessity is absolute necessity and it is not for mere convenient enjoyment of holding; and
- (ii) particularly in case of a new way through another khatedar's holding, that absence of alternative means of access is proved, may allow the application. The application shall be decided by the Sub-Divisional Officer within 90 days from the date of application.

70. Determination of compensation. - (1) The amount of compensation payable under sub-sec. (1) of Sec. 251-A of the Act, shall be determined in the following manner:-

(i) if the parties mutually agree on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer, shall determine the amount of compensation as per the mutual agreement.

(ii) if the parties do not agree mutually on the amount of compensation, the Sub-Divisional Officer shall determine the amount of compensation for the land equivalent to-

(a) two times of the rates recommended by the District Level Committee constituted under clause (b) of sub-rule (D) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of a new way or enlargement or widening of an existing way; and

(b) 10% of the rates recommended by the District Level Committee; constituted under clause (b) of sub-rule (1) of Rule 2 of the Rajasthan Stamps Rules, 2004 or the rates determined by the State Government under sub-rule (2) of Rule 58 of the

Rajasthan Stamps Rules, 2004, in the matter of laying underground pipeline.

(2) In addition to the value of land determined under clause (a) or (b) of sub-rule j (1), if any loss or damages caused due to removal of standing trees, crops or structure, the amount of actual loss or damages shall also be determined.

6. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के तहत सरकारी चारागाह भूमि से नवीन रास्ता चाहा गया है। सरकारी चारागाह भूमि से नवीन रास्ता हेतु राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 के द्वारा निर्देश जारी किये हुए है। अतः राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार है:-

परिपत्र

राज्य सरकार के यह ध्यान में आया है कि कुछ प्रकरणों में खातेदार की अपनी जोत तक पहुंचने के लिए कोई रास्ता नहीं है और खातेदार राजकीय (चारागाह) में से ही होकर अपनी जोत तक पहुंच सकता है। ऐसी स्थिति में खातेदार द्वारा अपनी जोत का संपरिवर्तन चाहे जाने पर उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह दर्ज होने के कारण संपरिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ऐसे प्रकरणों में प्रार्थी द्वारा जितनी भूमि चारागाह में रास्ते हेतु चाही जा रही है, उतनी ही भूमि स्वयं की खातेदारी भूमि में से चारागाह में दर्ज किये जाने का आवेदन करने पर चारागाह भूमि के बदले समर्पण की जाने वाली भूमि को चारागाह रिकॉर्ड दर्ज किया जाये। इसकी एवज में राजकीय चारागाह भूमि जिसमें रास्ता चाहा गया है की भूमि में राजकीय रास्ता सार्वजनिक दर्ज किया जा सकता है। प्रार्थी को निनिमय में चारागाह भूमि नहीं दी जावे।

7. इसके साथ ही सरकारी चारागाह भूमि से नवीन रास्ता हेतु राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(52)राज-6/2013 दिनांक 01.09.2014 के द्वारा मार्गदर्शन जारी किया गया है। अतः राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(52)राज-6/2013 दिनांक 01.09.2014 का प्रासंगिक विवरण इस प्रकार है:-

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र से आप द्वारा मार्गदर्शन अपेक्षित किया कि राजकीय भूमि में से किस किस की भूमि में से रास्ता दिया जा सकता है? अर्थात् चारागाह भूमि में से भी रास्ता दिया जा सकता है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जगपालसिंह प्रकरण में पारित आदेश 28.01.2011 के अनुसरण में इस विभाग के परिपत्र दिनांक 25.04.2011 से चारागाह भूमि के निजी एवं व्यावसायिक हेतु आवंटन पर रोक कायम लेण्ड मानकर लगायी है। चारागाह भूमि में से रास्ते हेतु दिया जाना निजी एवं व्यावसायिक उपयोग श्रेणी में नहीं कहा जा सकता है। चारागाह भूमि सार्वजनिक भूमि है तथा रास्ता भी सार्वजनिक होगा।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि परिपत्र 14.06.2013 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है। सूचनार्थ प्रेषित है।

8. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम 1955, के नियम 68 लगायत 70 के उद्धरण से स्पष्ट है कि धारा 251-क के अन्तर्गत कोई खातेदार अपनी आराजी तक कृषि कार्य बाबत आमद-रफ्त हेतु अन्य खातेदारों की आराजी में से होकर रास्ता रिकार्डेड अंकित करवा सकता है। इस हेतु उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क निम्न पूर्वशर्तों को आरोपित करती है जो इस प्रकार है-
 1. खातेदार की रास्ते बाबत अन्य रिकार्डेड रास्ते के विकल्प की अनुपस्थिति।
 2. खातेदार की रास्ते बाबत आत्यान्तिक आवश्यकता।
 3. लघुत्तम दूरी का नवीन मार्ग के विकल्प का प्रस्ताव।
9. उक्त प्रकरण में प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या-1 में रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता का जिक्र किया है तथा अन्य वैकल्पिक रास्ते की अनुपलब्धता का जिक्र किया गया है। साथ ही तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 13.02.2023 से इस तथ्य की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः शर्त संख्या 1 व 2 की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। अतः प्रार्थी का नवीन रास्ते बाबत अनुतोष स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।
10. राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प पर विचार किया जाना आवश्यक है। तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 13.02.2023

द्वारा लघुत्तम मार्ग बाबत विकल्प को प्रस्तावित किया गया है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के तहत आरोपित तीसरी शर्त के अनुसार नवीन रास्ते हेतु लघुत्तम मार्ग का विकल्प मुताबिक तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 13.02.2023 द्वारा प्रस्तावित मार्ग का विकल्प को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

11. राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 29.09.2014 तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(52)राज-6/2013 दिनांक 01.09.2014 के द्वारा जारी मार्गदर्शन के अनुसार कोई खातेदार चारागाह भूमि में से होकर अपनी आराजी तक रिकॉर्डेड रास्ता दर्ज करवा सकता है। उक्तानुसार खातेदार की आराजी तक नवीन रास्ते के पेटे आई भूमि की क्षतिपूर्ति के एवज में आवेदक खातेदार द्वारा उसी राजस्व गांव में दर्ज रिकॉर्ड चारागाह आराजी के समीपवर्ती/लगतती हुई अपनी खातेदारी में से समानुपातिक रकबे को चारागाह के पेटे समर्पित करने के प्रावधान है। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना-पत्र में तथा तहसीलदार थानागाजी की शामिल मिसल रिपोर्ट दिनांक 13.02.2023 द्वारा अपनी खातेदारी आराजी को चारागाह हेतु समर्पित करने का विकल्प व सहमति प्रदान की है। इस प्रकार चारागाह भूमि में से नवीन रास्ते में आई भूमि के एवज में खातेदारी आराजी को चारागाह हेतु समर्पित किये जाने से चारागाह भूमि का रकबा राजस्व गांव में यथावत बना रहने के प्रावधान की सुसंगतता के आधार पर चारागाह भूमि में से होकर सार्वजनिक रास्ता दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।
12. उक्त प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा 251-क के विधिक प्रावधानों के सन्दर्भ में प्रार्थीगण हेतु रास्ते की अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकॉर्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार थानागाजी के पत्र क्रमांक क्रमांक/भू0अ0/2023/501 दिनांक 13.02.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(52)राज-6/2013 दिनांक 01.09.2014 द्वारा जारी मार्गदर्शन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क काबिल-ऐ स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार थानागाजी की दिनांक 13.02.2023 की मौका जॉच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार प्रस्ताव लघुत्तम मार्ग बतौर 30 फुट चौड़ा गैर मुमकिन रास्ता नियमानुसार भूमि एवं निर्माण, अगर कोई हो तो, की क्षतिपूर्ति राशि भुगतान करने तथा प्रार्थी की खातेदारी आराजी में से प्रार्थी द्वारा चारागाह हेतु समानुपातिक रकबे की भूमि समर्पित करने व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के पश्चात् चारागाह भूमि में से होकर नवीन रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251-क के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अत्यान्तिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रिकार्डेड रास्ते हेतु अनुपलब्धता एवं तहसीलदार थानागाजी के पत्र क्रमांक क्रमांक/भू0अ0/2023/501 दिनांक 13.02.2023 के द्वारा प्रेषित की गई मौका जाँच रिपोर्ट मय नजरी नक्शा तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 14.06.2013 तथा राजस्व विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.3(52)राज-6/2013 दिनांक 01.09.2014 द्वारा जारी मार्गदर्शन के आधार पर स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार थानागाजी को आदेश दिये जाते हैं कि दिनांक 13.02.2023 की मौका जाँच रिपोर्ट में अंकित प्रस्ताव में इंगित लाल रंग से प्रदर्शित 30 फुट चौड़ाई के हाल आराजी खसरा संख्या 9/0.99 है0 वाके ग्राम सुरजनपुर में से रास्ते में आयी भूमि की एवज में क्षतिपूर्ति हेतु चारागाह के खसरे के लगती हुई प्रार्थी की आराजी खातेदारी में से रास्ते में आई भूमि के समानुपातिक रकबे की प्रार्थी की आराजी खातेदारी भूमि को चारागाह दर्ज रिकॉर्ड करते हुये नियमानुसार रास्ते को पृथक खसरा संख्या प्रदान करते हुए सार्वजनिक उपयोग हेतु गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। दिनांक 13.02.2023 की मौका जाँच रिपोर्ट व नजरी नक्शा निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार थानागाजी को भिजवायी जावे।

यह आदेश आज दिनांक 05.06.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी
थानागाजी-अलवर